RNI No.: DEL/BIL/2004/14598

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

Youngster

Where dream Chisels into reality

YOUNGSTER · ESTABLISHED 2004 · NEW DELHI · DECEMBER 2019 · PAGES 4 · PRICE 1/- · MONTHLY BILINGUAL (HIN./ENG.)

भक्ति के साथ-साथ प्रकृति का भी अद्भुत खजाना है तिरुपति बालाजी

तिरुपति बालाजी के मंदिर का अद्भुत दृश्य

तिरुपति बालाजी का मंदिर आंध्र प्रदेश के तिरुमाला की पहाड़ियों पर स्थित है। तिरुपति बालाजी को भक्त अगल–अलग नामों से पुकारते हैं। कोई उन्हें वेंकटेश्वर कहता है तो कोई श्रीनिवास। श्रद्धा से महिलाएं उन्हें प्यार से गोविंदा कहती हैं। भारत के सभी मंदिरो की तुलना में तिरुपति बालाजी के मंदिर को सबसे अमीर मंदिर माना जाता है। यहां हर वर्ग के लाखों श्रद्धालु भगवान का आशीर्वाद लेने आते हैं। फिल्मी सितारों से लेकर राजनेता आदि सभी तिरुपति बालाजी के दर्शन करने यहां आते हैं। गोविंदा के मंदिर तिरुपति बालाजी से जुड़ी कई मान्यताएं और विश्वास है। यहां कई ऐसी चीजें है जिनपर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल होता है, वैज्ञानिक भी इन रहस्यों के पीछे की वजह तलाश रहे हैं। वैज्ञानिक कुछ भी कहें लेकिन वेंकटेश्वर के भक्त इसे भगवान का चमत्कार मानते हैं। आइये आपको बताते हैं कि तिरुपति बालाजी का ये मंदिर आखिर क्यों इतना प्रसिद्ध है। मंदिर में रखी बालाजी की मूर्ति अपना स्थान बदलती है। मंदिर में मूर्ति को देखकर तब आश्चर्य होता है जब बाला जी की मूर्ति को गर्भ–गृह से देखने पर वह मंदिर के मध्य में दिखाई देती है और जब मंदिर से बाहर आकर देखें तो वह अपना स्थान बदलकर दाई ओर दिखाई देने लगती है।

तिरुपति बालाजी के मंदिर में भगवान को एक पिचाई कपूर चढ़ाया जाता है। ये वह कपूर है जिसको अगर किसी और पत्थर पर लगाया जाता है तो वह पत्थर कुछ समय बाद चटक जाता है लेकिन भगवान की मूर्ति पर इसका कोई असर नहीं होती। कहते हैं कि तिरुपति बालाजी के मंदिर में जो भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की मूर्ति रखी है उस पर जो बाल लगे हैं वह असली है। यह बाल कभी भी नहीं उलझते। भक्तों की मान्यता है कि यहां भगवान स्वयं रहते हैं। तिरुपति बालाजी के मंदिर के इतिहास को देखें तो कहा जाता है कि 18 शताब्दी में मंदिर के मुख्य द्वार पर 12 लोगों को फांसी दी गई थी तब से लेकर आज तक वेंकटेश्वर स्वामी जी मंदिर में समय–समय पर प्रकट होते हैं। मंदिर में एक और अजीब घटना होती है जिसे लेकर लोग कहते हैं की सच में यहां भगवान रहते है। मंदिर में बालाजी की मूर्ति पर अगर कान लगाया जाए तो उसके अंदर से आवाज आती है। ये आवाज समुद्र की लहरों की होती है। एक बात और आश्चर्य करती है वो यह है कि मंदिर में बालाजी की मूर्ति हमेशा पानी से भीगी रहती है। जैसे समुद्र के पास एक शांति सी महसूस होती है वैसा ही एहसास मंदिर में होता है।

मंदिर में मुख्य द्वार के दरवाजे के पास एक छड़ी रखी है। इस छड़ी के बारे में कहा जाता है कि बालाजी के बाल रूप में इस छड़ी से उनकी पिटाई की गई थी। पिटाई के दौरान उनकी ठोड़ी पर चोट लग गयी थी। मंदिर के सेवक उनकी चोट जल्दी ठीक हो जाए इसलिए चंदन का लेप लगाते हैं। मंदिर में सबसे हैरान करता है बिना तेल के जलने वाला दिया। मंदिर में एक दिया है जिसमें कभी भी तेल नहीं डाला जाता और न ही उसमें कोई ज्वलनशील पदार्थ डाला जाता है, लेकिन तब भी दिया हमेशा जलता रहता है। इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि इस दिए को किसने जलाया था। तिरुपति बालाजी के मंदिर की मान्यता के अनुसार भगवान को जो फूल, पत्ती, तुलसी चढ़ाई जाता है उसे भक्तों को नहीं दिया जाता बल्कि उसे बिना देखे मंदिर के पीछे के कुंड में विसर्जित कर दिया जाता है। मान्यता है की इन फूलों को देखना शुभ नहीं होता।

प्रत्येक गुरुवार के दिन तिरुपति बालाजी पर चंदन का लेप लगाया जाता है। लेप को जब मूर्ति से हटाते है तो उनके अंदर माता लक्ष्मी की प्रतिमा उभर आती है। ऐसा क्यों होता है इसके बारे में कोई नहीं जानता। प्रतिदिन भगवान की प्रतिमा को नीचे धोती और उपर साड़ी पहनाई जाती है। तिरुपति बालाजी में जो कुछ चढ़ाया जाता है जैसे दूध, घी, माखन आदि को मंदिर से 23 किलोमीटर दूर स्थित गांव से लाया जाता है। इस गाव में बाहरी व्यक्ति नहीं जा सकता। इस गांव से लोग बाहरी लोगों को चढ़ाने का सामान देते हैं।

रोहित रावत

महाराष्ट्र में राजनीतिक उजाला या काला धब्बा?

अपने अनूठे एव ं विस्मयकारी फैसलों से सबको चौंकाने वाले नरेंद्र मोदी एवं भाजपा सरकार ने महाराष्ट्र में सरकार बनाने की असमंजस्य एवं घनघोर धुंधलकों के बीच रातोंराज जिस तरह का आश्चर्यकारी वातावरण निर्मित करके सुबह की भोर में उसका उजाला बिखेरा वह उनके राजनीतिक कौशल का अद्भुत उदाहरण है। जिस राजनीतिक परिवक्वता, साहस एवं दृढ़ता से उन्होंने न केवल बाजी को पलटा बल्कि एनसीपी के अजित पवार की मदद से सरकार बना ली है। सरकार गठन के लिए शिवसेना के नेतृत्व में एनसीपी और कांग्रेस के बीच सरकार गठन के लिए बातचीत अंतिम दौर में पहुंच चुकी थी लेकिन शनिवार सुबह बड़ा उलटफेर करते हुए देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री और एनसीपी विधायक दल के नेता अजित पवार ने उपमुख्यमंत्री पद की शपथ भी ले ली। यह खबर जंगल में आग की तरह फैली और उन तमाम राजनीतिक जानकारों की समझ को गलत साबित कर दिया, जो इस पक्ष को पूरी तरह से नजरअंदाज कर चुके थे। ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र की राजनीति में यह कोई पहली घटना है। यदि राज्य के राजनीतिक इतिहास पर नजर डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि मौका परस्ती वहां पहले भी होती रही है, तीनों राजनीतिक दलों की बैठकों में भी यह चल रहा था, और रातोरात बदले परिदृश्यों में भी यही हुआ, लेकिन यह घटना मोदी की अन्य घटनाओं की तरह लम्बे समय तक राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बनी रहेगी। पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र में शिवसेना, कांग्रेस एवं एनसीपी के बीच हुई बैठकों एवं लिये गये निर्णयों से तय हो गया था कि शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री के नाम पर तीनों पार्टियों में सहमति बन गयी है एवं मातोश्री पर उत्सव का वातावरण भी बन गया था। इन जारी हलचलों के बीच भाजपा के मौन एवं सन्नाटा से किसी को भी यह अन्दाजा नहीं था कि कुछ ऐसा अद्भुत घटित हो जायेगा। इतने बड़े और राजनीतिक पलटवार का किसी को भान तक नहीं था। शायद यही राजनीतिक परिपक्वता एवं कौशल भाजपा एवं नरेन्द्र मोदी को अनूठा साबित करता है। दो दिन पूर्व शरद पवार के साथ हुई बैठक को भी बहुत चतुराई से जन–चर्चा का विषय नहीं बनने दिया, जबकि उसी बैठक में यह राजनीतिक समीकरण संभवतः तय हो गया था। अब भले ही एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार यह कह रहे हों कि यह अजित पवार का फैसला है और उन्हें संज्ञान में लिए बिना अजित ने बीजेपी के साथ सरकार बनाई लेकिन महाराष्ट्र में एनसीपी की सहयोगी कांग्रेस इस पूरे उलटफेर के लिए एनसीपी एवं शरद पवार को ही जिम्मेदार मान रही है। पता नहीं क्यों, कांग्रेस इतनी अपरिपक्व कैसे हो गयी, जिस शरद पवार ने उन्हें एक नहीं, अनेक अवसरों पर धता बताई, उन पर इतना बड़ा भरोसा कर लिया? इस तरह की कुछ बातें है जो कांग्रेस को लगातार कमजोर करती रही हैं, महाराष्ट्र के ताजा मसले में असली हार कांग्रेस की ही हुई है। पिछले लम्बे समय से महाराष्ट्र में जिस तरह के राजनीतिक समीकरण बन और बिगड़ रहे थे, वह माहौल लोकतंत्र की स्वस्थता की दृष्टि से उचित नहीं था, वहां हर क्षण लोकतंत्र टूट–बिखर रहा था, लेकिन इन टूटती–बिखरती राजनीतिक स्थितियों के बीच एकाएक शांतिपूर्ण विस्फोट हुआ, जिस तरीके से महाराष्ट्र में राजनीतिक मौसम ने अचानक करवट बदली है, उसे राज्य की राजनीति में धक्का तंत्र के नाम से जाना जाता है और शरद पवार को इसमें महारत हासिल है। महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार पर यह पंक्तियां बेहद सटीक बैठती हैं, न काहू से दोस्ती न काहू से बैर। ऐसा इसलिए क्योंकि वो कब किससे मिलेंगे, किससे नहीं, यह कोई नहीं जानता है। इस धक्का तंत्र की शुरुआत 1978 में हुई थी, जब कांग्रेस नेता वसंतदादा पाटिल राज्य के मुख्यमंत्री थे। उस समय 38 वर्ष के पवार ने कांग्रेस के ही कुछ विधायकों के साथ मिलकर पार्टी से विद्रोह कर दिया था और अपना एक अलग गुट बना लिया था। इस गुट का नाम प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक फ्रंट (पुलोदा) रखा गया था। कहा जाता है कि पवार ने उस समय पाटिल को धोखा देकर उनकी सरकार को खतरे में डाल दिया था। शुक्रवार की रात्रि में एक बार फिर उन्होंने ऐसी ही अनहोनी कर दिखाया। कांग्रेस

नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने सबसे पहले प्रतिक्रिया देते हुआ कहा, 'महाराष्ट्र के बारे में पढ़कर हैरान हूं। पहले लगा कि यह फर्जी खबर है। निजी तौर पर बोल रहा हूं कि तीनों पार्टियों की बातचीत 3 दिन से ज्यादा नहीं चलनी चाहिए थी। यह बहुत लंबी चली। मौका दिया गया तो फायदा उठाने वालों ने इसे तुरंत लपक लिया। इसके बाद सिंघवी ने शरद पवार पर तंज कसते हुए कहा, 'पवार जी तुस्सी ग्रेट हो। अगर यह सही है तो मैं हैरान हूं।' सचमुच जहां दोष एवं दुश्मन दिखाई देते हैं वहां संघर्ष आसान है। जहां ये अदृश्य है, वहां लड़ाई मुश्किल होती है। ऐसा ही महाराष्ट्र में कांग्रेस के साथ हुआ है। सचमुच महाराष्ट्र का रातोरात बदला राजनीतिक परिदृश्य हैरान करने वाला है। क्योंकि इन परिदृश्यों में कुछ भी जायज नहीं कहा जा सकता। असल में राजनीति में वैसे भी कुछ भी नैतिक एवं जायज होता ही कहा है।

अपने फैसलों से लगातार चौंकाती रही नरेंद्र मोदी सरकार ने महाराष्ट्र पर आज के अपने फैसले से विपक्षी दलों समेत हर किसी को हैरान कर दिया। तीनों सरकार बनाने वाले दलों, अन्य विपक्षी दलों, मीडिया भी स्वीकार कर रहे हैं कि उन्होंने इस 'चौके' की उम्मीद तो कतई नहीं की थी। अब भले ही सभी विपक्षी दल इसे लोकतंत्र के लिये काला धब्बा बताये या लोकतंत्र की हत्या? स्वयं को राजनीतिक धुरंधर मानने वाले भी बौने हो गये? कुछ तो है मोदी में करिश्मा या जादूई चमत्कार सरीका कि वे लगातार अनूठा एवं विलक्षण करके विस्मित करते हैं। उनके इस नये राजनीतिक तेवर पर भले ही प्रश्न खड़े किये जा रहे हो, लेकिन प्रश्न तो शिवसेना पर भी हैं कि उसने 30 साल पुरानी दोस्ती क्यों तोड़ी? जनता पूछ रही थी कि जब हमने आपको जनादेश दिया तो सरकार क्यो नहीं बना पाये? एक प्रश्न यह भी है कि शिवसेना इतनी जल्दी बाला साहेब के सिद्धांतों को कैसे भूल गयी? संजय निरुपम का यह कहना कि कांग्रेस की शिवसेना के साथ गठबंधन की सोच एक गलती थी।' सचमुच दो कट्टर विरोधी पार्टियों के बीच गठबंधन क्यों एवं कैसे स्वीकार्य हुआ। जनता ने तो इस तरह के गठबंधन के लिये अपने वोट नहीं दिये थे? यह तो जनता के मतों की अवहेलना एवं अपमान है। भले ही शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे इसे लोकतंत्र के नाम पर खेल बता रहे हो। लेकिन उन्होंने सत्तामद में जो किया, वह भी लोकतंत्र का खेल एवं मखौल ही था। महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ, उसे मूल्यहीन एचं दिशाहीन ही कहा जा सकता है। महाराष्ट्र में लोकतंत्र इतना काला हो जायेगा, या सत्तालोभी उसे इतना प्रदूषित कर देंगे, किसी ने नहीं सोचा। मैं और कुछ भी कह कर "लोकतंत्र" की महत्ता को कम नहीं कर रहा हूं, पर "लोकतंत्र" हमारी राजनीतिक संस्कृति है, सभ्यता है, विरासत है। यह भी मानता हूं कि कुछ राजनीतिक स्थितियां शाश्वत हैं कि जैसे कहीं उजाला होगा तो कहीं अंधेरा होगा ही। कहीं धूप होगी तो कहीं छाया का होना अनिवार्य है। किसी को फायदा तो किसी को नुकसान होना ही है। पर अनुपात का संतुलन बना रहे। सभी कुछ काला न पड़े। जो दिखता है वह मिटने वाला है। लेकिन जो नहीं दिखता वह शाश्वत है। शाश्वत शुद्ध रहे, प्रदूषित न रहे। किसी व्यक्ति के बारे में सबसे बड़ी बात जो कही जा सकती है, वह यह है कि "उसने अपने चरित्र पर कालिख नहीं लगने दी।" अपने जीवन दीप को दोनों हाथों से सुरक्षित रखकर प्रज्वलित रखना होता है। लेकिन राजनीति में ऐसे लोगों का होना एवं ऐसी घटनाओं का श्रृंखलाबद्ध बढ़ना कब प्रारंभ होगा। क्या हमें किसी चाणक्य के पैदा होने तक इन्तजार करना पड़ेगा, जो जड़ों में मठ्ठा डाल सके। नहीं, अब तो प्रत्येक मन को चाणक्य बनना होगा।

राजनीतिक प्रदूषण एवं अनैतिकता से ठीक उसी प्रकार लड़ना होगा जैसे एक नन्हा–सा दीपक गहन अंधेरे से लड़ता है। छोटी औकात, पर अंधेरे को पास नहीं आने देता। क्षण–क्षण अग्नि–परीक्षा देता है। पर हां ! अग्नि परीक्षा से कोई अपने शरीर पर फूस लपेट कर नहीं निकल सकता। महाराष्ट्र जैसे प्रदूषित घटनाक्रमों से भारतीय लोकतंत्र को निजात मिले, यह जरूरी है। फिर भले सत्ता पर कोई देवेंद्र फडणवीस बैठे या ठाकरे? लोकतंत्र को शुद्ध सांसें मिलनी ही चाहिए।

आतिश कुमार

THIS MONTH

December 18, 1956 - Japan was admitted to the United Nations.

*****

December 16, 1969 - The British House of Commons voted 343-185 to abolish the death penalty in England.

*****

December 24, 1992 - Caspar Weinberger and five other Reagan aides involved in the Iran-Contra scandal were pardoned by President George Bush.

*****

December 21, 1993 - The KGB (Soviet Secret Police) organization was abolished by Russian President Boris Yeltsin

*****

December 19, 1998 - The House of Representatives impeached President Bill Clinton, approving two out of four Articles of Impeachment, charging Clinton with lying under oath to a federal grand jury and obstructing justice.

*****

December 20, 1699 - Czar Peter the Great changed the Russian New Year from September 1 to January 1 as part of his reorganization of the Russian calendar.

*****

Compilation:
Honey Shah

BASICS OF MEDIA

Digital Television (dtv): Digital television systems that generally have a higher image resolution than STV (standard television). Also called advanced television (ATV).

*****

Downloading: The transfer of files that are sent in data packets. Because these packets are often transferred out of order, the file cannot be seen or heard until the downloading process is complete.

*****

Field: (1) A location away from the studio. (2) One-half of a complete scanning cycle, with two fields necessary for one television picture frame. There are 60 fields, or 30 frames, per second in standard NTSC television.

*****

Progressive Scanning: In this system the electron beam starts with line 1, then scans line 2, then line 3, and so forth, until all lines are scanned, at which point the beam jumps back to its starting position to repeat the scan of all lines.

*****

Streaming: A way of delivering and receiving digital audio and/or video as a continuous data flow that can be listened to or watched while the delivery is in progress.

To Be Continued In Next Issue-

Compilation:
Rahul Mittal

संपादक की कलम से

उप्र में CAA पर संशयों को दूर करने में जुटी भाजपा, चल रहे जागरूकता अभियान

उत्तर प्रदेश में एनआरसी और नागरिकता संशोधन बिल को लेकर जहां कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बसपा सहित कुछ छोटे दल मुसलमानों को भड़का कर अपनी सियासत चमकाने और माहौल खराब करने की कोशिश में लगे हैं, वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कह दिया है कि प्रदेश में शांति भंग करने की छूट किसी को नहीं दी जाएगी। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने भी ऐसे सभी दलों के खिलाफ मैदान संभाल लिया है। योगी सरकार की सख्ती की वजह से ही अभी तक उत्तर प्रदेश में एनआरसी या कैब के बहाने प्रदेश का माहौल बिगाड़ने वालों के इरादे सफल नहीं हो पाए हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में चिंगारी भड़की जरूर थी, लेकिन उसे समय रहते नियंत्रित कर लिया गया। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में भी अफवाह फैलाने वालों के सुरों को दबाने की कोशिश लगातार जारी है। कैब के बहाने लखनऊ के मुस्लिम शिक्षण संस्थान नदवा कालेज से भी कुछ छात्रों द्वारा माहौल खराब करने की कोशिश की गई थी, जिन्हें आसपास के मुस्लिम लोगों का भी समर्थन मिल रहा था। लेकिन योगी की पुलिस ने हालात बिगड़ने नहीं दिए। बात भारतीय जनता पार्टी की कि जाए तो वह लोगों को बता और जागरूक कर रही है कि जम्मू–कश्मीर से धारा 370 और 35–ए की विदाई, मुस्लिम महिलाओं के उत्पीड़न का जरिया बने तीन तलाक के खिलाफ कानून बनाकर और अब नागरिकता संशोधन विधेयक पारित कराकर उसने (भाजपा ने) न सिर्फ इतिहास रचा है बल्कि अपने घोषणा पत्र के वादे पूरे किए हैं। मोदी सरकार ने आजादी के समय से देश के माथे पर लगे इन दागों को धोकर एक भारत–श्रेष्ठ भारत की कल्पना को हकीकत में बदला है। मुसलमानों को गुमराह होने से बचाने के लिए भाजपा जगह–जगह कार्यक्रम आयोजित करेगी।

भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अनिल जैन और प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून का विरोध करने वालों को बताना चाहिए कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के प्रताड़ित हिंदू, जैन, बौद्ध, पारसी और सिख भारत के अलावा कहां शरण लें। भाजपा नेता लोगों को बताएंगे कि धर्म के आधार पर भारत विभाजन की मांग मुस्लिम लीग ने की थी और कांग्रेस ने धर्म के आधार पर देश का विभाजन स्वीकार किया। विभाजन के कारण तमाम लोगों को काफी मुसीबतें उठानी पड़ीं। इन्हें सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार देने के लिए नागरिकता संशोधन कानून बनाया गया है।

मुसलमानों को भी बताया जाएगा कि एनआरसी या कैब अल्पसंख्यकों के विरुद्ध नहीं है। उन्हें इस हकीकत से भी रूबरू किया जाएगा कि बांग्लादेश में 1947 में हिंदू 22 प्रतिशत थे, वे 2011 में 7.8 प्रतिशत रह गए। पाकिस्तान में 1947 में हिंदुओं की आबादी 23 प्रतिशत थी, यह 2011 में घटकर मात्र 3.2 प्रतिशत रह गई। भारत में 1951 की जनगणना के अनुसार मुस्लिम आबादी 9.8 प्रतिशत थी, यह 2011 में 14.23 प्रतिशत हो गई। पाकिस्तान, अफगानिस्तान एवं बांग्लादेश के सर्वोच्च पदों पर किसी हिंदू, जैन, बौद्ध, पारसी या सिख को काम करने का मौका नहीं मिला, जबकि भारत में कई मुस्लिम शख्सियतों ने महत्वपूर्ण पद हासिल किए हैं।

भाजपा यह मानती और जानती है कि नागरिकता कानून पर कुछ लोग राजनीतिक कारणों से भ्रम फैला रहे हैं। इस कानून से न तो देश के मुसलमानों को कोई खतरा है और न पूर्वोत्तर राज्यों की पहचान को। कानून में पूरी स्पष्टता से विभाजन की विभीषिका झेलने वाले लाखों लोगों को कष्टों से उबारने के लिए नागरिकता देने की व्यवस्था की गई है। भाजपा नेता डॉ. सुधांश त्रिवेदी ने रेप वाले बयान के लिए राहुल गांधी की आलोचना की और कहा कि वह जिस तरह माफी न मांगने पर अड़े हैं, उसके लिए देश उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। भाजपा ने मुलसमानों का भ्रम दूर करने के लिए उत्तर प्रदेश और बिहार में संयुक्त कार्यशाला भी की, जिमसें भाग लेने वालों को इस कानून के बारे में बताकर उन्हें लोगों को जागरूक करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। भाजपा के रणनीतिकारों ने अपने नेताओं से कहा कि सबको बताया जाए कि इस कानून से वर्षों से प्रताड़ना झेल रहे हिंदुओं, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और सिखों को नारकीय जीवन से छुटकारा मिलेगा। विधेयक को पारित कराने से पहले गृहमंत्री अमित शाह ने ढाई सौ से ज्यादा प्रतिनिधिमंडलों से मुलाकात कर विचार–विमर्श किया। उसके बाद इस विधेयक को लाया गया।

इस मौके पर भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने चुटकी ली कि पाकिस्तान और बांग्लादेश या अफगानिस्तान के मुस्लिम भी भारत की नागरिकता लेने के इतने ही इच्छुक हैं तो सभी लोगों को गलती सुधारते हुए वापस भारत की नागरिकता ले लेनी चाहिए, हम तैयार हैं। इससे वृहत्तर भारत का सपना साकार हो जाएगा। त्रिवेदी ने कहा कि जो लोग इस कानून पर भ्रम फैलाकर मुसलमानों को डरा रहे हैं, उन्हें इस बात का भी जवाब देना चाहिए कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी एकदम खत्म होने के करीब कैसे पहुंच गई और भारत में मुस्लिम आबादी 9 प्रतिशत से 14.5 प्रतिशत तक कैसे पहुंच गई। त्रिवेदी ने राहुल गांधी के रेप इन इंडिया के बयान पर माफी न मांगने पर कहा कि राहुल गांधी ने माफी न मांगने का बालहठ कर रखा है। राहुल गांधी की यह गलती अक्षम्य है। देश उन्हें माफ नहीं करेगा। उन्होंने चुटकी ली कि राहुल ने राफेल पर भी देश से माफी नहीं मांगी जब कोर्ट पहुंचे तो माफी मांगी थी। लब्बोलुआब यह है कि भाजपा अपने किसी भी फैसले के खिलाफ जनमानस को उकसाने वालों के मंसूबे नाकाम करने के लिए कोई कोर–कसर नहीं बाकी रखना चाहती है।

जेएनयू में फीस वृद्धि का विरोध करने वाले जरा इस हकीकत को भी देख लें

पिछले कुछ दिनों से जेएनयू में जारी आंदोलन को लेकर मीडिया में बहुत कुछ कहा और लिखा जा रहा है। जेएनयू में फीस बढ़ोत्तरी को लेकर लोगों की अलग–अलग राय है....कुछ लोग इसे सही ठहरा रहे हैं तो कुछ लोगों का कहना है कि सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं फीस को लेकर अपनी राय बाद में रखूंगा पहले इस संस्थान की बात हो जाए। मुझे याद है वो साल 1996...जी हां इसी साल पहली बार मैं बिहार से दिल्ली पहुंचा था...छोटे से शहर दरभंगा से ग्रेजुएशन के बाद अपने सपनों को साकार करने दिल्ली पहुंचे एक युवक की बेचौनी कैसी होगी इसे आप समझ सकते हैं। दिल्ली आने से पहले जेएनयू के बारे में तो सुना था लेकिन सच मानिए पहली बार कैंपस में दाखिल होते ही मेरा मन खिल उठा। देश के अलग–अलग हिस्सों से आए छात्र–छात्राओं को अलग–अलग अंदाज में देखना मेरे लिए बिल्कुल ही नया अनुभव था। उन दिनों जेएनयू आने वाले लोगों का सबसे बड़ा और अहम ठिकाना गंगा ढाबा होता था....इस अड्डे पर अंडा पराठे, आलू पराठे और मिल्क कॉफी के साथ देश और दुनिया के सभी ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा होती थी.... अंग्रेजी स्कूल से आए छात्र धाराप्रवाह अंग्रेजी बोलते थे तो दूसरी ओर हिंदी भाषी क्षेत्रों से आए छात्र हिंदी में अपनी बात रखते थे।

लेकिन अंग्रेजी–हिंदी को लेकर कभी कोई मसला नहीं रहा...रॉक गार्डन, टेफ्लाज, लाइब्रेरी कैंटीन इन सभी जगहों पर छात्रों का जमघट लगा रहता था। मेरा जेएनयू से सामना उस दौर में हुआ जब वहां सिविल सेवा परीक्षा का बोलबाला था। देश की राजधानी दिल्ली में बिहार जैसे राज्यों से आए मध्यमवर्ग परिवार से ताल्लुक रखने वाले छात्रों को कम से कम पैसे में जेएनयू जैसे बेहतर संस्थान में वो सब कुछ मिल रहा था जो संपन्न वर्ग के छात्रों को मिल सकता था। रहने के लिए छात्रावास, बजट में खाना–पीना, पढ़ने के लिए लाइब्रेरी अब इससे ज्यादा उन्हें क्या चाहिए था। ये वो दौर था जब जेएनयू से हर साल 50 और उससे ज्यादा संख्या में छात्र सिविल सेवा परीक्षा में अपना झंडा गाड़ रहे थे।

आर्थिक उदारीकरण के बाद निजी क्षेत्रों में ज्यादा सैलरी मिलने के बाद भी यहां के छात्रों के लिए यूपीएससी एक बड़ा सपना था। जेएनयू में पढ़ाई के साथ–साथ छात्र राजनीति की भी खूब चर्चा होती थी। मुझे याद है उस दौर में छात्रसंघ चुनाव से पहले जो डिबेट होता था उसमें छात्र नेताओं को सुनने को भारी भीड़ जुटती थी। ये बात अलग है कि उन दिनों जेएनयू में सिर्फ लेफ्ट का बोलबाला हुआ करता था।

लेकिन यहां एक बात बता दूं कि उस दौर में छात्रों को कहीं ज्यादा आजादी मिली हुई थी...हर किसी को अपनी विचारधारा रखने की आजादी थी, हर छात्र अपनी पसंद–नापसंद खुलेआम कैंपस में छात्रों के सामने रखते थे और इसे लेकर कभी कोई विवाद नहीं हुआ।

खैर अब हम मुद्दे पर लौटते हैं...मुझसे कई लोगों ने पूछा कि क्या जेएनयू में फीस बढ़ाना सही है। मेरा जवाब था....जेएनयू में फीस में बढ़ोत्तरी तो हुई है लेकिन इस कदर नहीं जिसे लेकर सड़क से संसद तक बवाल मचाया जाए। पहले बात छात्रावास की... अब तक छात्र हॉस्टल में रहने के लिए सालाना 20 रुपए देते आ रहे थे जिसे बढ़ाकर 600 रुपए कर दिया गया। मतलब अभी भी एक महीने के रहने का किराया 50 रुपया...जरा सोचिए दिल्ली जैसे शहर में वो भी साउथ दिल्ली में अगर एक छात्र को रहने के लिए हर महीने 50 रुपए खर्च करने पड़े तो उसके लिए इससे ज्यादा बड़ी बात क्या होगी। कुछ यही बात छात्रावास में मेस को लेकर भी है...मुझे याद है 1995–96 के बीच मेस का बिल हर महीने 600 से 700 तक जाता था। उस पैसे में ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर वो भी भर पेट। हफ्ते में तीन दिन नॉनवेज...एक दिन स्पेशल डिश जिसमें आइसक्रीम भी शामिल होता था। अभी 23 साल बाद भी वहां हर महीने मेस बिल 2500 के करीब आता है। महंगाई के इस दौर में जहां प्याज 90 रुपए किलो बिक रहा है, आलू की कीमत 25 रुपए किलो है वहां एक दिन में 100 रुपए से भी कम में तीन समय का बेहतर भोजन मिल जाए तो इससे बढ़िया और क्या बात हो सकती है ?

कुछ लोग ये दलील दे रहे हैं कि आखिर उन गरीब छात्रों का क्या होगा...जिनके माता–पिता की आय काफी कम है। ऐसे लोगों को मेरी हिदायत होगी कि वो एक बार ग्रामीण इलाकों का दौरा करें....जेएनयू आने वाले छात्र गरीब घरों से जरूर होते हैं लेकिन वो किसी मजदूर परिवार से नहीं आते। आजकल ग्रामीण इलाकों में भी लोगों की आमदनी बढ़ी है...लिहाजा फीस को लेकर शोर मचाना कहीं से जायज नहीं है। कम से कम मेरे जैसे लोग जो जेएनयू को करीब से देख चुके हैं ये बात जानते हैं कि महंगाई के दौर में भी ये एकमात्र ऐसा संस्थान है जहां मध्यमवर्गीय परिवारों का भी सपना पूरा होता है। महानगरों में रहने वाले लोगों से पूछिए जिन्हें बिजली–पानी की समस्या से जूझना होता है....जिन्हें बेहतर हवा नसीब नहीं होती। जेएनयू कैंपस का एक चक्कर लगाने के बाद आपको इस बात का अहसास हो जाएगा कि वहां छात्रों को मिलने वाली सुविधाएं अपने आप में मिसाल है। इसलिए मेरा तो यही मानना है कि फीस को लेकर बेवजह बवाल खड़ा किया जा रहा है...और कहीं न कहीं जेएनयू को बदनाम करने की कोशिश हो रही है।

सुरभित शर्मा

Faculty Development Program

नागरिकता कानून पर यह रहे आपके सभी प्रश्नों के उत्तर, खुद भी पढ़ें और फॉरवर्ड भी करें

नागरिकता संशोधन कानून पर आखिर इतना हंगामा क्यों ? भारत सरकार की तरफ से संसद में और संसद के बाहर यह बार–बार स्पष्ट किया जा चुका है कि इस कानून से किसी भी भारतीय के मूलभूत अधिकारों पर जरा–सा भी विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम सवाल पूछना चाहते हैं इस कानून के नाम पर देश की कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों से कि क्या आपने इस कानून को पढ़ा है ? अराजक तत्वों के बहकावे में आकर भीड़ का हिस्सा मत बनिये, पहले इस कानून को समझिये। आइए इस कानून को लेकर आपके मन में उमड़–घुमड़ रहे सभी सवालों के जवाब आपको बेहद आसान तरीके से समझाते हैंरू

प्रश्न 1– क्या नागरिकता संशोधन कानून भारतीयों खासकर किसी भी हिंदू या मुस्लिम को प्रभावित करता है ?

उत्तर– नहीं। नागरिकता कानून में हुए संशोधन का किसी भी भारतीय नागरिक के साथ किसी भी तरह से कोई लेना–देना नहीं है। भारतीय नागरिकों को भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का इस कानून के जरिये किसी प्रकार का हनन नहीं होगा। यह कानून किसी भी भारतीय नागरिक चाहे वह हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, बौद्ध हो, ईसाई हो या अन्य किसी धर्म का पालन करने वाला हो, किसी के भी अधिकार को जरा–सा भी प्रभावित नहीं करता है।

प्रश्न 2– नागरिकता संशोधन कानून किस पर लागू होता है ?

उत्तर– नागरिकता संशोधन कानून 2019 पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक उत्पीड़न के आधार पर पलायन कर भारत आये हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई विदेशियों के लिए प्रासंगिक है। यहां यह बात ध्यान रखनी होगी कि इन धर्मों के लोगों ने अगर सिर्फ धार्मिक उत्पीड़न के आधार पर भारत में 31.12. 2014 तक या उससे पहले प्रवेश किया है तो ही उन्हें नागरिकता मिलेगी।

प्रश्न 3– क्या पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से गैर–कानूनी रूप से भारत आए मुस्लिम अप्रवासियों को नागरिकता संशोधन कानून के अंतर्गत वापस भेजा जाएगा?

उत्तर– जी नहीं। नागरिकता संशोधन कानून का भारत में वैध या अवैध रूप से रह रहे किसी भी विदेशी को भारत से बाहर भेजने से कोई लेना–देना नहीं है। यहाँ आपको एक बात समझनी होगी कि किसी भी विदेशी नागरिक को देश से बाहर भेजने, चाहे वह किसी भी धर्म या देश का हो, इसकी प्रक्रिया फॉरनर्स ऐक्ट 1946 अथवा पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) ऐक्ट 1920 के तहत की जाती है। ये दोनों कानून, सभी विदेशियों– चाहे वे किसी भी देश अथवा धर्म के हों, देश में प्रवेश करने, रिहाइश, भारत में घूमने–फिरने और देश से बाहर जाने की प्रक्रिया को देखते हैं। अगर किसी विदेशी घुसपैठिये को देश से बाहर निकालना हो तो उसकी क्या प्रक्रिया होती है ? इसे भी समझिये। नागरिकता संशोधन कानून को एक साइड रख दीजिये यह कानून किसी को भी देश से नहीं निकाल सकता। हम यहाँ बात फॉरनर्स ऐक्ट 1946 अथवा पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) ऐक्ट 1920 की कर रहे हैं। इन दोनों कानूनों के तहत सामान्य निर्वासन की प्रक्रिया सिर्फ गैरकानूनी रूप से भारत में रह रहे विदेशियों पर लागू होती है। अवैध रूप से आये लोगों को देश से बाहर भेजने की प्रक्रिया भी तब शुरू होती है जब कोई व्यक्ति द फॉरनर्स ऐक्ट, 1946 के तहत 'विदेशी' साबित हो जाये। यहाँ एक बात और समझने की जरूरत है कि यहां सिर्फ केंद्र की ही नहीं चलती बल्कि राज्य सरकारों और उनके जिला प्रशासन के पास फॉरनर्स ऐक्ट के सेक्शन 3 और पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) ऐक्ट 1920 के सेक्शन 5 के तहत केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त शक्तियां होती हैं, जिससे वह गैरकानूनी रूप से रह रहे विदेशी की पहचान कर सकती हैं, हिरासत में रख सकती हैं और उस घुसपैठिये को उसके देश भेजने को केंद्र से कह सकती हैं।

प्रश्न 4– पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आने वाले हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई शरणार्थियों को इस कानून से कैसे फायदा होगा ?

उत्तर– पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक उत्पीड़न झेलने के बाद भारत आये शरणार्थियों के पास यदि पासपोर्ट, वीजा जैसे दस्तावेजों का अभाव है तो भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। नागरिकता संशोधन कानून ऐसे लोगों को भारतीय नागरिकता का अधिकार देता है लेकिन इसके लिए भारत में एक से लेकर 6 साल तक की रिहाइश अनिवार्य है। भारत में अन्य लोगों के लिए भारतीय नागरिकता हासिल करने के लिए अभी 11 साल भारत में रहना कानूनी रूप से अनिवार्य है।

प्रश्न 5– क्या इसका मतलब यह माना जाये कि इन ३ देशों के मुसलमानों को भारतीय नागरिकता कभी नहीं मिल सकती है ?

उत्तर– इस प्रश्न का जवाब है कि यह तीन देश ही क्यों, अन्य देशों के मुसलमान भी कभी भी भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं यदि वो पात्र हैं। एक बात सभी को स्पष्ट रूप से समझ लेनी चाहिए कि नागरिकता संशोधन कानून ने किसी भी देश के किसी भी विदेशी को भारत की नागरिकता लेने से नहीं रोका है बशर्ते कि वह भारतीय कानून के तहत मौजूदा सभी योग्यताओं को पूरा करे। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि नरेंद्र मोदी के शासन की ही बात कर लें तो पिछले छह वर्षों के दौरान लगभग 2830 पाकिस्तानी नागरिकों, 912 अफगानी नागरिकों और 172 बांग्लादेशी नागरिकों को भारतीय नागरिकता दी गई है। इनमें से कई लोग इन तीन देशों में बहुसंख्यक समुदाय यानि मुस्लिम वर्ग से हैं। विदेशियों को भारतीय नागरिकता प्राप्त होती रही है और यह जारी रहेगी बस सभी अनिवार्य शर्तों को पूरा करना होगा। यहाँ हम आपको वह आंकड़ा भी बताना चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी के भारत का प्रधानमंत्री बनने के बाद 2014 में जब बांग्लादेश के साथ सीमा समझौता किया गया था तो बांग्लादेश के पचास से अधिक हिस्सों को भारतीय क्षेत्र में शामिल किया गया और वहां के बहुसंख्यक समुदाय यानि मुस्लिम वर्ग के लगभग 14,864 बांग्लादेशी नागरिकों को भारतीय नागरिकता प्रदान की गई थी।

प्रश्न 6– क्या पाकिस्तान में बलूचियों, अहमदिया और म्यांमार में रोहिंग्याओं को इस कानून के अंतर्गत रियायत नहीं दी जानी चाहिए ?

उत्तर– दी जानी चाहिए। बिलकुल दी जानी चाहिए। बलूच, अहमदिया और रोहिंग्या कभी भी भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं बशर्ते वो नागरिकता अधिनियम–1955 से संबंधित वर्गों में प्रदत्त योग्यता को पूरा करें। एक बार फिर आपको समझा रहे हैं कि नागरिकता अधिनियम–1955 के तहत नागरिकता संशोधन कानून किसी भी देश के किसी भी नागरिक को भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने से नहीं रोकता है।

प्रश्न 7दृ कुछ लोगों का सवाल है कि क्या शरणार्थियों की देखभाल के लिए 'संयुक्त राष्ट्र' के तहत भारत का दायित्व नहीं बनता है ?

उत्तर– शरणार्थियों की देखभाल का दायित्व भारत का बनता है जनाब। भारत तो आजाद होने से पहले से शरणार्थियों की देखभाल करने का शानदार रिकॉर्ड रखता है। नागरिकता संशोधन कानून के तहत किसी भी शरणार्थी को बाहर नहीं भेजा जायेगा। अभी का आंकड़ा आपको बताएं तो भारत में दो लाख से अधिक श्रीलंकाई तमिल और तिब्बती और पंद्रह हजार से अधिक अफगानी, 20–25 हजार रोहिंग्या और विदेशों से सैंकड़ों अन्य शरणार्थी वर्तमान में रह रहे हैं। भारत को यह उम्मीद है कि जब कभी इन देशों की स्थिति सुधरेगी और हालात अनुकूल पाएंगे तो यह शरणार्थी अपने–अपने देशों को लौट जाएंगे। अभी इन शरणार्थियों को हर प्रकार की सुविधा दी जा रही है और इनके मानवाधिकारों की चिंता की जा रही है। लेकिन यहां एक बात और बताना चाहेंगे कि नागरिकता संशोधन कानून के तहत जिन तीन देशों के अल्पसंख्यकों की बात की गयी है उन देशों के बारे में भारत सरकार का आकलन यह है कि वहां अल्पसंख्यकों की स्थिति में कोई सुधार नहीं आने वाला है इसलिए उनकी चिंता करते हुए उन्हें भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है।

प्रश्न 8– तमिलनाडु के कुछ साथी पूछ रहे हैं कि मैया श्रीलंका के तमिलों का क्या होगा ?

उत्तरः आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 1964 और 1971 में प्रधानमंत्री स्तरीय करार के बाद भारत ने चार लाख 61 हजार तमिलों को भारतीय नागरिकता प्रदान की है। इस समय 95 हजार तमिल लोग तमिलनाडु में रह रहे हैं और केंद्र और राज्य से सुविधाएं प्राप्त कर रहे हैं। ये लोग अपनी पात्रता पूर्ण होते ही भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसलिए श्रीलंकाई तमिलों की आड़ में भारतीय नागरिकता संशोधन कानून की आलोचना करना सही नहीं है।

प्रश्न 9– क्या नागरिकता संशोधन कानून में नस्ल, लिंग, राजनीतिक अथवा सामाजिक संगठन का हिस्सा होने, भाषा व जातीयता के आधार पर होने वाले भेदभाव से पीड़ित लोगों को भी संरक्षण देने का प्रस्ताव है?

उत्तर– नहीं। नागरिकता कानून सिर्फ भारत के तीन करीबी देशों– जिनका अपना राजधर्म है, के छह अल्पसंख्यक समुदायों की सहायता करने के उद्देश्य से लाया गया है।

प्रश्न–10. क्या नागरिकता संशोधन कानून के बाद एनआरसी आयेगा और मुस्लिमों को छोड़कर सभी प्रवासियों को नागरिकता देगा ?

उत्तर– नागरिकता संशोधन कानून का एनआरसी से कोई संबंध नहीं है।

प्रश्न 11– क्या नागरिकता संशोधन कानून धीरे–धीरे भारतीय मुस्लिमों को भारत की नागरिकता से बाहर कर देगा?

उत्तर– नहीं, नागरिकता संशोधन कानून किसी भी भारतीय नागरिक पर किसी भी तरह से लागू नहीं होगा।

प्रश्न 12– क्या पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अलावा अन्य देशों में धार्मिक आधार पर भेदभाव का सामना कर रहे हिंदू भी नागरिकता कानून के अंतर्गत नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं?

उत्तर– नहीं। उन्हें भारत की नागरिकता लेने के लिए सामान्य प्रक्रिया से गुजरना होगा। इसके लिए उन्हें या तो पंजीकरण करवाना होगा अथवा नागरिकता हासिल करने के लिए आवश्यक समय भारत में गुजारना होगा। नागरिकता कानून लागू होने के बाद भी द सिटिजनशिप एक्ट, 1955 के तहत कोई प्राथमिकता नहीं दी जायेगी।

तो इस प्रकार...हमने नागरिकता संशोधन कानून पर सभी प्रमुख प्रश्नों के उत्तर आपके समक्ष रख दिये हैं। जरूरत है कि इन्हें समझिये ना कि हिंसक आंदोलनों का हिस्सा बनिये। आपको खुद से प्रश्न पूछना चाहिए कि कहीं अनजाने में आप भारत जैसे शांतिप्रिय देश और दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था को पीछे धकेलने की एक बड़ी साजिश का हिस्सा तो नहीं बन रहे हैं।

तेजस्विता

Vol. 15 **No.** 12
RNI No.: DEL/BIL/2004/14598
Publisher: Ram Kailsah Gupta on behalf of Tecnia Institute of Advanced Studies, 3 PSP, Madhuban Chowk, Rohini, Delhi-85; **Printer:** Ramesh Chander Dogra; **Printed at:** Dogra Printing Press, 17/69, Jhan Singh Nagar, Anand Parbat, New Delhi-5
Editor: Rahul Mittal,Bal Krishna Mishra responsible for selection of News under PRB Act. All rights reserved.

IMPORTANT QUOTES

"I do not consider it an insult, but rather a compliment to be called an agnostic. I do not pretend to know where many ignorant men are sure -- that is all that agnosticism means."

- Clarence Darrow

*****

"Obstacles are those frightful things you see when you take your eyes off your goal."

- Henry Ford

*****

"I'll sleep when I'm dead."

- Warren Zevon

*****

"There are people in the world so hungry, that God cannot appear to them except in the form of bread."

- Mahatma Gandhi

*****

Compilation:
Priya Kumari

WINNERS v/s LOOSERS Part-90

Winners have dreams;
Losers have schemes.

*****

Winners see the gains;
Losers see the pain.

*****

Winners see the potential;
Losers see the past

*****

Winners make it happen;
Losers let it happen.

*****

Winners see possibilities;
Losers see problems

*****

Winners makes commitments;
Losers makes promises

*****

Winners say "I must do something";

Losers say "Something must be done".

*****

To Be Continued In Next Issue-

Compilation:
Rahul Mittal

All Students and Faculty are welcome to give any Article, Feature & Write-up along with their Views & Feedback at: **youngstertias@gmail.com**